

इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय

IPC 184/09

17 सितम्बर 2019

सूचना

अत्यावश्यक

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली द्वारा महाविद्यालय को यह निदेश दिया गया है कि मतदाता सत्यापन कार्यक्रम (EVP) के अंतर्गत एक एकाउंट बनाकर अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित ब्यौरों का सत्यापन करवा लें।

महाविद्यालय द्वारा सभी शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक कर्मचारियों और छात्राओं को निदेश दिया जाता है कि वे मतदाता सत्यापन कार्यक्रम में भाग लें।

यह अभियान आज आरंभ हो गया है और 23 सितम्बर 2019 तक चलेगा और इसमें महाविद्यालय समुदाय की 100% भागीदारी (परिवार के सदस्यों सहित) होनी अपेक्षित है जिससे कि 24 सितम्बर 2019 तक राष्ट्रीय सेवा योजना केंद्र, दिल्ली विश्वविद्यालय और तत्पश्चात् मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली को तत्संबंधी रिपोर्ट भेजी जा सके।

कृपया लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करें।



प्राचार्या



समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना